

राजस्थान सरकार  
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक :- प. 20(1)साप्र/2/15

जयपुर, दिनांक 31/3/15

:- आदेश :-

निम्नांकित कर्मचारियों को उनकी चतुर्थ श्रेणी में 'एफ' श्रेणी की वरियता के आधार पर उनके नाम के सम्मुख अंकित राजकीय आवास उनके निवास हेतु राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के प्रावधानानुसार नियमानुसार किराये पर इस विभाग के आदेश प. 20(1)साप्र/2/2015 दिनांक 4.12.2014 के द्वारा आवंटित किए गए थे, जिनका आवंटियों द्वारा निर्धारित अवधि में कब्जा नहीं लेने के कारण आवंटन एतद्वारा निरस्त किया जाता है :-

क.सं	नाम व पद	आवंटित आवास संख्या	सेवानिवृत्ति तिथि	वरियता संख्या
1	श्री रामकिशन जटिगा रीडर, न्यायालय, विशिष्ट महानगर मजिस्ट्रेट (एन.आई. एक्ट प्रकरण), क्रम-15, जयपुर महानगर निवासी-4/118, गांधीनगर, जयपुर	एफ-44, गांधीनगर	31.10.2025	330
2	श्री प्रकाश राम विश्नोई सहायक उप निरीक्षक मुख्यमंत्री सुरक्षा प्रकोष्ठ, जयपुर निवासी-4/177, (पुराना नम्बर एफ-990) गांधीनगर, जयपुर	एफ-67, गांधीनगर	30.6.2040	331
3	श्रीमती सुशीला चौधरी नर्स ग्रेड-II अधीक्षक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर निवासी-4/37, गांधीनगर, जयपुर	एफ-183, गांधीनगर	31.10.2043	332

राज्यपाल की आज्ञा से,

(महेन्द्र कुमार खींची)  
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संभागीय आयुक्त, जयपुर।
2. जिला कलक्टर, जयपुर।
3. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
4. अधीक्षक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर।
5. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जयपुर।
6. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, मुख्यमंत्री सुरक्षा प्रकोष्ठ, जयपुर।
7. न्यायालय, विशिष्ट महानगर मजिस्ट्रेट (एन.आई. एक्ट प्रकरण), क्रम -15, जयपुर महानगर, जयपुर।
8. कोषाधिकारी, कोष एवं लेखा विभाग, जयपुर।
9. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर, जयपुर।
10. प्रोग्रामर सहायक, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय- कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
11. अधिशाषी अभियन्ता, सा0 नि0 विभाग-खण्ड-तृतीय/जन स्वा0 अभि0 विभाग/जयपुर विद्युत वितरण निगम लि0 गांधीनगर, जयपुर।
12. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी गांधीनगर, जयपुर।
13. सम्बन्धित कर्मचारीगण।
14. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि।
15. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार  
सामान्य प्रशासन (गुप-2) विभाग

क्रमांक :- प. 18(1)साप्र/2/15

जयपुर, दिनांक 31/01/15

:- आदेश :-

श्री नरेन्द्र सिंह शेखावत, वाहन चालक, राजस्थान स्टेट मोटर गैरेज, जयपुर को उनकी पंचम श्रेणी की वरियता संख्या 33/2012 व सेवानिवृत्ति दिनांक 30.06.2030 के आधार पर राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के प्रावधानानुसार नियमानुसार किराये पर इस विभाग के आदेश प. 18(1)साप्र/2/2014-पार्ट दिनांक 4.12.2014 के द्वारा आवंटित राजकीय आवास संख्या GA-V/I-1/47, विद्याधर नगर का निर्धारित अवधि में कब्जा नहीं लेने के कारण आवंटन एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(महेन्द्र कुमार खींची)  
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

- 1- संभागीय आयुक्त, जयपुर।
- 2- जिला कलक्टर, जयपुर।
- 3- निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
- 4- नियंत्रक, राजस्थान स्टेट मोटर गैरेज, जयपुर।
- 5- कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर, जयपुर।
- 6- प्रोग्रामर सहायक, सामान्य प्रशासन (गुप-3) विभाग, शासन सचिवालय- कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
- 7- अधिशाधी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग-खण्ड-तृतीय/ जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग / जयपुर विद्युत वितरण निगम लि0, राजस्थान पुलिस अकादमी परिसर, जयपुर।
- 8- सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी, गांधीनगर, जयपुर।
- 9- सम्बन्धित कर्मचारीगण
- 10- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि।
- 11- रक्षित पत्रावली।

(महेन्द्र कुमार खींची)  
शासन उप सचिव